प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 15-03-2022*

विषय- नवनिर्मित केन्द्रीय कारागार इटावा को क्रियाशील करने हेतु अन्यत्र कारागारों में 07 वर्ष से अधिक की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी, जिन पर अन्य कोई वाद लम्बित न हो, को केन्द्रीय कारागार, इटावा में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-805/सामा-1/के0का0 इटावा/2021, दिनांक 06-01-2022 में किए गए अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अंतर्गत (1) जिला कारागार, कानपुर नगर, (2) जिला कारागार, कानपुर देहात, (3) जिला कारागार, कन्नौज, (4) जिला कारागार, उरई (जालौन), (5) जिला कारागार, इटावा, (6) जिला कारागार, झॉसी एवम् (7) जिला कारागार, ललितपुर की कारागारों की ओवरक्राउडिंग की समस्या को कम किये जाने के दृष्टिगत उक्त कारागारों में निरूद्ध 07 वर्ष से अधिक की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी, जिन पर अन्य कोई वाद लम्बित न हो, को केन्द्रीय कारागार, इटावा में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा/कानपुर नगर/कानपुर देहात/कन्नौज/उरई(जालौन)/झांसी/ललितपुर।
3- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, इटावा/ झांसी/कानपुर देहात/कन्नौज/उरई(जालौन)/ ललितपुर।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर/कानपुर देहात/कन्नौज/उरई(जालौन)/झांसी/ललितपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदीगणों को केन्द्रीय कारागार, इटावा में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in